

झारखण्ड सरकार

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिल कुमार तिकी (गोपनीय),

सरकार के अपर सचिव-सह- नियंत्री पदाधिकारी।

सेवा में,

**Mr. Gautam Thakur,**

Partner- Aaira Enterprises LLP,

Office Address- Kumardihha, Barkagaon,

Dist-Hazaribag, JHARKHAND-825311

राँची, दिनांक-20/08/26 ई०।

विषय:-

झारखण्ड निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली-2023 के तहत निजी सुरक्षा एजेंसी चलाने हेतु अनुज्ञप्ति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन के आलोक में झारखण्ड निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली-2023 के तहत पूरे झारखण्ड राज्य में निजी सुरक्षा एजेंसी चलाने हेतु संलग्न अनुज्ञप्ति(प्रपत्र-IV) निम्नलिखित शर्तों के साथ निर्गत की जाती है :-

1. नियोजित सुरक्षा कर्मियों/पर्यवेक्षकों के चरित्र तथा पूर्व वृत्त सत्यापन के संबंध में नियमावली की कंडिका-4 के तहत फार्म-VII में चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र की प्रति एवं सक्षम प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत प्रशिक्षण संस्थान में आपका एवं सुरक्षा प्रहरियों/पर्यवेक्षकों के लिए विहित प्रशिक्षण तथा निपुणता संबंधी प्रमाण पत्र फार्म-VIII प्रति छः माह के भीतर अनिवार्य रूप से नियंत्री पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।
2. अनुज्ञप्तिधारी को अपने कार्यालय पते तथा अभिकरण चलाने वाले व्यक्तियों अथवा उनके पत्राचार के पतों में किसी बदलाव के संबंध में सात दिनों के भीतर नियंत्री पदाधिकारी को सूचित करना अनिवार्य होगा।
3. अनुज्ञप्तिधारी, अभिकरण चलाने वाले व्यक्तियों का ऐसे अभिकरण द्वारा रखे गये किसी निजी सुरक्षा प्रहरियों या पर्यवेक्षकों के विरुद्ध किसी आपराधिक मामले की जानकारी अविलंब देंगे। ऐसी संसूचना की एक प्रति पुलिस थाना, जहाँ उक्त व्यक्ति रहता है, के थाना प्रभारी को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु अनिवार्य रूप से भेजा जाएगा।
4. जिस जिले में कार्य प्रारंभ की जाय, उस जिले के उपायुक्त/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/थाना प्रभारी को अविलंब सूचित करते हुए विभाग को भी सूचित किया जाय।
5. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति को प्रदर्श स्वरूप अपने संस्थान के विशिष्ट स्थल पर सम्पूर्ण विवरण के साथ प्रदर्शित करेंगे।
6. प्रशिक्षण अभिकरण नियंत्रक प्राधिकारी को सफल प्रशिक्षणार्थियों की एक सूची प्रारूप XII में प्रति छः माह के भीतर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
7. अनुज्ञप्तिधारी अथवा निजी सुरक्षा अभिकरण के विरुद्ध किसी तरह का परिवाद अथवा निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम-2005 एवं गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-2165, दिनांक-24.04.2023 द्वारा निर्गत झारखण्ड निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली-2023 के अंतर्गत निजी सुरक्षा अभिकरण चलाने हेतु निर्धारित/प्रख्यापित नियमों के उल्लंघन का मामला संज्ञान में आने पर अनुज्ञप्ति निलंबित करने अथवा रद्द करने का अधिकार नियंत्री पदाधिकारी को होगा।
8. अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु आवेदन अधिनियम-2005 द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर समर्पित करना होगा।
9. एजेंसी का यह दायित्व होगा कि वे EPFO/ESIC के साथ निबंधन उपरांत उनकी शर्तों एवं श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wages) की शर्तों का दृढ़ता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे अन्यथा किसी तरह का परिवाद/मामला संज्ञान में आने पर अनुज्ञप्ति निलंबित करने अथवा रद्द करने का अधिकार नियंत्री पदाधिकारी को होगा।
10. नियंत्री पदाधिकारी को अधिकार होगा कि वे स्वयं अथवा उनके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किसी भी समय एजेंसी के कार्यालय एवं उनके गतिविधियों की जाँच कराकर नियमानुसार कार्रवाई कर सकेंगे।
11. अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने की शर्तों के उल्लंघन के कारण अनुज्ञप्ति निलंबित/रद्द कर देने की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अनु०-यथोपरि।

विश्वासभाजन,

सरकार के अपर सचिव-सह-  
नियंत्री पदाधिकारी।

Form IV  
(See rule 8)  
GOVERNMENT OF JHARKHAND

**Licence to engage in the business of Private Security Agency**

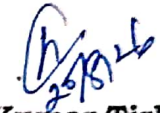
Serial No. 79/2026  
Date 20-08-2026

Name of the Private Security Agency: **Aaira Enterprises LLP**

**Mr. Gautam Thakur**, S/O- Jagat Pal Thakur, Residential Address- Ward No. 5, Nayatand, Barkagaon, P.O- Barkagaon, Dist- Hazaribagh, Jharkhand- 825311 is granted the licence by the Controlling Officer for the State of Jharkhand to run the business of Private Security Agency in the entire State of Jharkhand with **Office Address- Kumardihha, Barkagaon, Dist-Hazaribag, JHARKHAND- 825311**

Place of Issue - Ranchi  
Date of Issue - 20-08-2026  
This licence is valid upto - 19-08-2031



  
**(Anil Kumar Tirkey)**  
Additional Secretary-cum-  
Controlling Authority PSARA  
Department of Home,  
Jail & Disaster Management.  
Govt. of Jharkhand, Ranchi

**RENEWAL**  
**(See rule 5(4))**

| Sl. No. | Date of Renewal | Date of expiry |
|---------|-----------------|----------------|
| 1.      |                 |                |
| 2.      |                 |                |
| 3.      |                 |                |
| 4.      |                 |                |

Signature  
Name of renewing Authority  
Designation  
Official Address